राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाक:पं04(1)चिस्वा / 2 / 2021 / के–473 जयपुर, दिनांक: 07/4/21

निदेशक (जन स्वा),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:–अपील संख्या 3042 / 2016 डॉ0 कुसुम शर्मा, से0नि0 प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 की पालना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि अपील संख्या 3042 / 2016 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.9.2019 की अनुपालना में डॉ0 कुसुम शर्मा, से0नि0 प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ग्रेच्यूटी राशि पर देय ब्याज राशि रूपये 2,70,000 / – एवं पेंशन एरियर पर देय ब्याज राशि 1,06,264 / –रूपये अर्थात कुल राशि 3,76,264 / – रूपये (अक्षरे तीन लाख छियत्तर हजार दो सौ चौसठ रूपये मात्र) का भुगतान बजट मद "2071–01–800–01–00–84" राज्य निधि मद से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त प्रकरण में विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारी / अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किया जावे।

भवदीय,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
2–वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
3–उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
4–चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर।
5–डॉ0 कुसुम शर्मा, से0नि0 प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर।
6–रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : ई/चि0अ0/के–473/2021/578

दिनांक :/2/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.4(1)चिस्वा/2/2021/के–473 जयपुर दिनाक 07.042021 के कम में ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय ।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन– जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर ।
6. उप विधी परामर्शी मुख्यालय ।
7. चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय बनीपार्क, जयपुर को भेजकर लेख है कि अपील संख्या 3042/2016 डॉ0कुसुम शर्मा प्रमुचिअ बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनोक 11.9.2019 की पालना के संबध में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियो/कर्मचारी के दायित्व निर्धारित कर अविलम्ब पालना रिर्पोट से निदेशालय को अवगत करावे ।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियो विभागीय मेल आई डी पर अपलोड करावे ।
9. डॉ0 कुसुम शर्मा से0नि0 प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय बनीपार्क जयपुर को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।